

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ****आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या-1576 वर्ष 2026**

मनोजर @ मनोहर

..... आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ के माध्यम से

.....विपक्षी(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : संदीप सिंह

विपक्षी(ओं) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 15**माननीय न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया।
2. यह जमानत आवेदन आरोपी-आवेदक द्वारा दायर किया गया है जो धारा 9, 51 वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम और 26, 41 और 42 भारतीय वन अधिनियम, थाना धौरहरा, रेंज धौरहरा, जिला लखीमपुर खीरी, के तहत रेंज केस संख्या 27/2015-16 में शामिल है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह कथन किया गया है कि आरोपी-आवेदक को न तो घटनास्थल पर गिरफ्तार किया गया था और न ही उसके कब्जे से कोई बरामदगी की गई थी। आवेदक के विरुद्ध जितने भी मामले लंबित दिखाए गए हैं, उनमें अभी तक उसे कोई नोटिस नहीं दिया गया है। आवेदक दिनांक 19.12.2025 से जेल में बंद है। आगे यह कथन किया गया है कि आवेदक न तो पूर्व दोषी है और न ही उसका कोई पिछला आपराधिक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

इतिहास है। आगे कहा गया है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने या गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदक को जमानत मिल गई है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

3क. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि सह-अभियुक्त रमाकांत, जिन्हें समान भूमिका सौंपी गई थी, को इस न्यायालय ने आपराधिक जमानत आवेदन संख्या 3574/2018 में पारित आदेश दिनांक 16.05.2018 के तहत जमानत पर रिहा कर दिया है। आवेदक के अधिवक्ता ने सह-अभियुक्त के आदेश के साथ समानता की मांग की।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई तथ्यात्मक दलीलों पर कोई विवाद नहीं किया।

5. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि सह-अभियुक्त रमाकांत, जिन्हें समान भूमिका सौंपी गई थी, को जमानत दे दी गई है और आवेदक 19.12.2025 से जेल में बंद है, मेरी राय है कि आरोपी-आवेदक समता के आधार पर जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

5क. तदनुसार, समानता के आधार पर जमानत आवेदन की **अनुमति** दी जाती है।

6. आवेदक **मनोजर @ मनोहर** को उपरोक्त मामले में निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

i. आवेदक संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि की दो जमानतदारों के साथ एक व्यक्तिगत बंधन प्रस्तुत करेगा।

ii. आवेदक उपस्थित होगा और भा०दं०प्र०सं० के अध्याय-33 की धारा 437 उपधारा 3 के तहत निष्पादित बंधन की निम्नलिखित शर्तों का सख्ती से पालन करेगा-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(क) आवेदक इस अध्याय के तहत निष्पादित बंधन की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

(ख) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है, या जिसके लिए उस पर संदेह है, और

(ग) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ न की जा सके।

iii. आवेदक जांच/मुकदमे में सहयोग करेगा।

iv. आवेदक को इस आशय का एक वचनबंध दाखिल करना होगा कि जब गवाह अदालत में मौजूद हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर किसी भी स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त में चूक होने की स्थिति में, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानेगा और कानून के अनुसार आदेश पारित करेगा।

v. आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से, निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। उनकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क के तहत उनके खिलाफ कार्यवाई कर सकती है।

vi. यदि आवेदक मुकदमे के दौरान अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो भा०दं०प्र०सं० की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी किया जाता है और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर अदालत के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो, विचारण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 174-क के तहत, कानून के अनुसार, उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू करेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

vii. आवेदक (i) मामले को प्रारंभ करने, (ii) आरोप तय करने और (iii) भा०दं०प्र०सं० की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तारीखों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह इस तरह की चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और उसके खिलाफ कानून के अनुसार आगे बढ़े।

मार्च 20, 2026

आर. सी-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।